रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 1970/ज्येष्ठ 26, 1892

No. 104] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 1970/JYAISTHA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th June 1970

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1970—March, 1971 (Amendment No. 9)*

No. 83-ITC (PN) 70.—Attention is invited to the import policy for registered exporters for the period April, 1970—March, 1971, as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book Vol. II) and announced under the Ministry of Foreign Trade's Public Notice No. 48-ITC(PN)/70 dated 31-3-1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below :—

Page No. of the Red Book Vol. II	Reference	Amendment
45	A. 20 Col. 4	The existing entry at (b) relating to Trichloroethylene may be deleted and the entry at (c) may be renumbered as (b).
50	A. 50·2 Col. 4	The existing entry at (y) may be replaced by the following : Aerosol propellants/refrigerants of the types other than F.11, F.12 and F. 22 (10%).
68-69	A. 75·5 Col. 5	The following entry may be inserted in col. 5 as S. No. (5) : No import of the items PVC resins and PVC compound will be permitted; these items may, however, be supplied by the indigenous manufacturers at international prices against release orders issued by the licensing authorities in accordance with the scheme for supply of plastics raw material issued by the Government.
91	A.152·1 Col. 4	The existing entry at (m) relating to trichlorocetylene may be deleted and the subsequent Serial Numbers may be re-numbered.
98	A. 164 Col. 4	The existing entry at (e) relating to trichloroethylene may be deleted and the subsequent S. Nos. may be re-numbered.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 16 जून, 1970

विषय—अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 9)।

सं० 83-आई० टी० सी० (पी एं)/70.—पंजीकृत निर्यातकों का ध्यान अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की आयात नीति, जैसा कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक भाग II) में है और जिसका आरंभापन विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या-48 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 31-3-70 द्वारा किया जा चुका है, की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे लिखे अनुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जायें :—

रैड बुक वाल्यूम II की पृष्ठ-संख्या	संदर्भ	संशोधन
45	ए–20 ——— कालम –4	ट्राइक्लोरोएथिलीन से सम्बन्धित वर्तमान प्रविष्टि (बी) हटा दी जाए और प्रविष्टि (सी) को (बी) जैसा पुनः संख्यांकित किया जाए ।
50	ए–50–2 ——— कालम –4	(बाई) में दी गई वर्तमान प्रविष्टि के बदले निम्नलिखित प्रविष्टि को इन्द्राज किया जाए : एफ 11, एफ 12 और एफ 22 (दस प्रतिशत) के अतिरिक्त एरोसाल प्रोपेलेन्ट्स / रिफ्रीजिरेन्टस टाइप ।
68–69	ए–75.5 कालम–5	कालम 5 क्रम संख्या (5) में निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाए : पी० वी० सी०–रेजिन्स तथा पी० वी० सी० कम्पाउन्ड्स मदों के आयात के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । किन्तु सरकार द्वारा चलाई गई प्लास्टिक कच्चे माल योजना के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा दिये गये बंटन आदेश के विरुद्ध ये चीजें स्वदेशी विनिर्माण कर्त्ताओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर दी जायेंगी ।
91	ए–152.1 कालम –4	ट्राइक्लोरोलिन से सम्बन्धित प्रविष्टि (एम) को हटा दिया जाए और इसके बाद की क्रम संख्या को पुनः संख्यांकित किया जाए ।
98	ए–164 कालम –4	ट्राइक्लोरोएथिलीन से सम्बन्धित प्रविष्टि (ई) को हटा दिया जाए और इसके बाद की क्रम संख्याओं को पुनः संख्यांकित किया जाए ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970